

(120)
राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

869
30/1/12

(2)

क्रमांक प. 10 (35)नविदि / 3 / 2010 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 30 JAN 2012

परिपत्र

विषय :- भू-उपयोग परिवर्तन की विस्तृत प्रक्रिया व मानदण्ड में शिथिलता के संबंध में।

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.07.2010 में आंशिक संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार किया जाता है :-
"500 वर्गमीटर को 750 वर्गमीटर बढ़ा जावे।"


(एन. एल. मीना)

उप शासन सचिव-तृतीय

गतिविधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आद्युक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, नगर आयोजन एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति।
10. सचिव, नगर विकास न्याय, समस्त
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव-तृतीय

(297)